



छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2013 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2013 (फाल्गुन 6, 1934)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-
 - (i) एफ 7-29/2012/12 दिनांक 31 दिसम्बर, 2012,
 - (ii) एफ 7-29/2012/12 दिनांक 28 जनवरी, 2013 पटल पर रखेंगे.
- (2) श्री चन्द्रशेखर साहू, पशुधन विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) सर्वश्री नंद कुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, लेखराम साहू, सदस्य, प्रदेश के धान उपार्जन खरीदी केन्द्रों में व्याप्त अनियमितता की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, लेखराम साहू, सदस्य, जिला कवर्धा अंतर्गत रायपुर-बिलासपुर बायपास रोड में खनिज निरीक्षक व वाहन चालक के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः):-

“माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.”

रायपुर
दिनांक 24 फरवरी, 2013

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव.